न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारीः—कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या—69 / 2022 दायरा दिनांक 13.05.2022 GCMS CASE NO-2022/69

दानाराम पुत्र तखुराम जाति ब्राहम्ण निवासी ठेठार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

—अपीलांट

बनाम

1. रामेश्वरलाल पुत्र तखुराम जाति ब्राहम्ण निवासी ठेठार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. आशीदेवी पुत्री तखुराम पत्नी दुलाराम जाति ब्राहम्ण निवासी कूपरीसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. बाधुदेवी पुत्री तखुराम पत्नी अन्नाराम जाति ब्राहम्ण निवासी पीपासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. मोहनी पुत्री तखुराम पत्नी बंशीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी पीपासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. भंवरी देवी पुत्री तखुराम पत्नी भोजाराम(फौत)
   - 5/1. रामकुमार पुत्र भोजाराम जाति ब्राहम्ण निवासी चक 3 जी.एम. गोमावाली तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
   - 5/2. रामगोपाल पुत्र भोजाराम जाति ब्राहम्ण निवासी लालगढ़ जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
   - 5/3. कलावती पुत्री भंवरीदेवी पत्नी मंशाराम जाति ब्राहम्ण निवासी राजियासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़

—रेस्पोडेंटगण

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः—

1. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुरेन्द्र सुथार, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
3. पैरोकार राज, रेस्पोडेंट संख्या 6

—:: निर्णय ::— दिनांक : 07.01.2025

अपीलांटस ने यह अपील पेश कर निवेदन किया है कि अदालत मातहत तहसीलदार सूरतगढ़ का आदेश जिसकी रूह से उतरवादी न. 1 ता 5 के नाम वाके रोही ठेठार के खसरा नम्बर 9/5 मे 1.2270 है0 रकबा को तरमीम करने का आदेश जारी कर खसरा नम्बर 9/5 से तरमीम कर नया खसरा 201/9 किया गया का नाम जमाबन्दी व नक्शा मे दर्ज किया, का निर्णय खिलाफ कानून, खिलाफ रिकॉर्ड मिसल व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्ती योग्य है। अपीलान्ट व उत्तरवादी संख्या 1 ता 5 आपस मे भाई बहिन है। अपीलान्ट व उत्तरवादीगण संख्या 1 ता 5 के पिता तखुराम पुत्र बख्ताराम के नाम से रोही ठेठार के खसरा नम्बर 199/9 मे 1.970 है0 खसरा नम्बर 9/1 मे 0.594 है0 व खसरा नम्बर 9/5 मे 1.2270 है0 (वर्तमान खसरा नम्बर 201/9) कुल 3.1970 है0 रकबा आवंटन है। तखुराम के फौत हो जाने के पश्चात उक्त रकबा अपीलान्ट व उत्तरवादी संख्या 1 ता 5 को विरास्तन प्राप्त हुआ। जो राजस्व रिकार्ड दर्ज होकर अपीलान्ट व उत्तरवादी संख्या 1 ता 5 के कब्जा काश्त मे चला आ रहा है। अपीलान्ट के भाई उत्तरवादी संख्या 1 रामेश्वरलाल के नाम से खसरा नम्बर 9/4 व 9/5 मे 3.901 है0 भूमि आवंटन है। उक्त भूमि के अलावा भी रामेश्वरलाल को खसरा नम्बर 9/5 मे पैतृक भूमि मे हिस्सा अनुसार 1/6 हिस्सा आता है। उक्त भूमि अपीलान्ट व उत्तरवादीगण संख्या 1 ता 5 के पिता को आवंटन के समय से लेकर व उनके फौत हो जाने से लेकर आज तक अपीलान्ट व उत्तवादी संख्या 1 ता 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2025.01.28 11:18:17 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

के कब्जा काश्त मे चला आ रहा है। खसरा नम्बर 9/1 मे 0.594 है0 व खसरा नम्बर 9/5 मे 1.2270 है0 रकबा मे जहा पुराना कब्जा काश्त चला आ रहा था। वही पर आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। खसरा नम्बर 9/5 मे अपीलान्ट व उत्तरवादी संख्या 1 ता 5 का खसरा नम्बर 9/4 के चिपता हुआ रकबा पर कब्जा काश्त वर्षो पुराना चला आ रहा है। खसरा नम्बर 9/5 की अपनी भूमि को अपीलान्ट व उत्तरवादी संख्या 2 ता 5/3 ने वर्षो से सुधार कर के कब्जा काश्त के लायक की है। इस भूमि के अलावा अपीलान्ट व उत्तरवादीगण के पास काश्त करने के लिए कोई भूमि नही है। अपीलान्ट व उत्तरवादीगण संख्या 1 ता 5 के नाम से रोही ठेठार के खसरा नम्बर 9/5 मे 1.2270 है0 रकबा जिस पर अपीलान्ट व उत्तरवादीगण वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है, को उत्तरवादी संख्या 1 ने कर्मचारियो से साठगांठ कर खसरा नम्बर 9/5 मे 1.2270 है0 रकबा को अपीलान्ट व उत्तरवादीगण संख्या 2 ता 5 का राजस्व रिकार्ड दर्ज होने व कब्जा काश्त होने के बावजूद भी अन्यन्त्र खसरा नम्बर 201/9 मे कब्जा काश्त बता कर खसरा तरमीम करवा दिया। जबकि खसरा नम्बर 201/9 मे अपीलान्ट व उत्तरवादीगण संख्या 2 ता 5 का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। उक्त खसरा पूर्णतः बारानी है तथा उंचे उंचे टिल्ले है। उत्तरवादी संख्या 1 ने खसरा नम्बर 9/5 को तरमीम करवा कर नया खसरा नम्बर 201/9 तरमीम करवा दिया तथा राजस्व नक्शा मे फुटटे से लाईन खिचवा कर तरमीम स्थापित करवा दी। ताकि उत्तरवादी न0 1 नया खसरा नम्बर 201/9 मे से अपने हिस्सा की 1/6 हिस्सा की भूमि को अपने आवंटन के खसरा नम्बर 9/4 के चिपते हुए फिट करवा सके। उक्त तरमीम बिना काश्तकारो का सुने बिना विधिक कार्यवाही को किए बिना तरमीम किए होने के कारण मातहत न्यायालय के आदेश व इन आदेश की पालना मे नक्शा मे पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का द्वारा लगाया गया नोट निरस्ती योग्य है। रोही ठेठार के खसरा नम्बर 9/5 मे अपीलान्ट व उत्तरवादी व अन्य कृषक है। मातहत न्यायालय ने खसरा नम्बर 9/5 के रकबा में अन्य किसी भी आंवटी या कृषक को बिना सुचना दिये जैरअपील आदेश पारित कर रकबा खसरा नम्बर 9/5 जो कि अपीलान्ट व उतरवादी न. 1 ता 5 के नाम था को तरमीम करवा कर नया खसरा 201/9 अपीलान्ट व उत्तरवादीगण के पक्ष मे तरमीम किया है। जो कतई गलत एव गैरकानूनी है। मातहत न्यायालय ने इस खसरा के अन्य काश्तकारों को बिना सुने व कब्जा काश्त की बिना जाचं किये व मौका पर जाए बगैर ही आदेश पारित किया है जो पूर्णतया कानून के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है। इसलिए भी अपील अपीलाण्टगण स्वीकार योग्य है। मातहत न्यायालय के आदेश की पालना में राजस्व नक्शा में अपीलाण्ट व उत्तरवादीगण के कब्जा काश्त को खसरा नम्बर 201/9 मे बता कर नया खसरा 201/9 तरमीम कर के राजस्व नक्शा मे फुट्टे से तरमीम जमा दी तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे अपीलान्ट व उत्तरवादीगण का नाम दर्ज करवा दिया। जबकि खसरा नम्बर 201/9 मे अपीलान्ट व उत्तरवादीगण संख्या 1 ता 5 का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। जब कब्जा ही नही है तो कब्जा अभाव मे तरमीम शुरू से शून्य है। भू राजस्व अधिनियम 1956 कि धारा 111 सीमाओ के बारे मे विवादो का विनिश्चय के बारे में विद्यमान सर्वेक्षण नक्शों के आधार पर व नियम 141 घ सर्वेक्षण का 30 दिन का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। तत्पश्चात सर्वेक्षण का कार्य आरम्भ होगा। इन नियमो के मुताबिक किसी भी रकबा को तरमीम से पूर्व उस रकबा के तमाम खातेदारों या आवटीयों को सुनने के लिए 30 दिन का नोटिस दिया जायेगा व नोटिस कि तामील होने के बाद विनिर्दिट समय के भीतर उपस्थित होने का समयसीमा खातेदार/आवंटीयो/काश्तकारो को आदेश दिया जायेगा परन्तु मातहत न्यायालय ने पूर्णतया एक तरफा तौर पर ही बिना अपीलान्ट को सुने, गैर कानूनी तरीके से अपीलाण्ट व उत्तरवादीगण का रकबा अन्यन्त्र खसरा नम्बर 201/9 मे तरमीम कर दिया है। खसरा नम्बर 9/5 के अन्य किसी भी काश्तकार का रकबा रकबा तरमीम नही है, अन्य खातेदारों का रकबा तरमीम क्यों नही किया। अपीलान्ट व उत्तरवादीगण का कब्जा काश्त खसरा नम्बर 9/5 मे खसरा नम्बर 9/4 के चिपते रकबे पर है। जैर अपील तरमीम आदेश में वर्णित रकबा पर अपीलान्ट व उत्तरवादीगण का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। रकबा का आज तक कब्जा का परिवर्तन नही हुआ मातहत न्यायालय ने तरमीम करने से पुर्व मौका रिपोर्ट कतई नही मगवाई अगर मौका रिपोर्ट मॅगवाई होती तो सारी सच्चाई सामने आ जाती तो नया खसरा नम्बर 201/9 कभी भी कतई नही किया जा सकता था। अतः निवेदन है कि तहसीलदार (भू. अ.) सूरतगढ द्वारा रोही ठेठार के खसरा न. 9/5 को तरमीम कर नया खसरा नम्बर 201/9 बनाए जाने के आदेश को निरस्त कर राजस्व नक्शा मे खसरा 201/9 को हटा कर खसरा नम्बर 9/5 मे 1.2270 है0 रकबा का तरमीम खसरा न. 9/4 के चिपते रकबा पर किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे भी अपीलान्ट व उत्तरवादीगण के नाम से खसरा नम्बर 201/9 के स्थान पर खसरा नम्बर 9/5 दर्ज करने के आदेश [illegible] इस बाबत अपीलांट ने रेस्पो. 1 के विरूद्ध FIR भी दर्ज करवायी गयी थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2025.01.28 11:18:17 IST
Reason: SelfAttested

आतेरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री भागीरथ विश्नोई उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सुथार एवं पैरोकार राज हाजिर आये। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि जैर अपील रकबा अपीलांट का आराजी काश्त बाद का रकबा है। बिना अपीलांट को सुने अपीलांट के कब्जा काश्त के रकबा की तरमीम कर दी। उक्त तरमीम अपीलांट को बिना कोई सूचना दिये एवं बिना सुने एकतरफा तौर पर अपीलांट की पीठ पीछे की गई है। जैर अपील रकबा अपीलांट को टीसी आवंटन होने एवं रकबा पर अपीलांट का कब्जा काश्त होने से अपीलांट का हित निहित है एवं अपीलांट प्रकरण में हितवद्ध पक्षकार है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील अनुमति प्रदान करे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र पर का खण्डन करते हुए दौराने बहस प्रार्थना पत्र पर कथन किया कि जैर अपील आदेश की सत्यचित्रति प्रस्तुत नहीं की हैं, अपीलांट का हित साबित नहीं हैं। इस प्रकार अपीलांट को यह अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 02 पैरोकार राज ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र पर किसी तरह की कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

पत्रावली का अवलोकन किया। जैर प्रकरण रकबा अपीलांट एवं रेस्पो. का आराजी काश्त बाद का रकबा है, इसलिए आलौच्य आदेश से सीधे–सीधे व्यथित है एवं प्रकरण में प्रभावित पक्षकार है जिससे अपीलांट अपील पेश करने के कानूनी अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील अनुमति प्रदान की जाती है।

तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांट को विधिवत सुने बिना ही एक पक्षीय पारित किया है। उक्त तरमीम से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नही दिया गया तथा ना ही मौका निरीक्षण किया गया। अपने ही कयासो के आधार पर कब्जा दिखाकर उक्त तरमीम कर दी गई। अपीलांट जब अपने कब्जा काश्त रकबा में सोलर पम्प लगाने के लिए हल्का पटवारी से जमाबंदी की नकल लेने गया तो सर्वप्रथम हल्का पटवारी ने बताया कि आपके नाम का खसरा नम्बर 9/5 को तरमीम करके नया खसरा 201/9 कर दिया गया हैं। तब तहसील कार्यालय में पता किया व तहसीलदार साहब के समक्ष दिनांक 22.03.2022 को नकल प्रार्थना पत्र पेश किया। जो रिकार्ड में जमा नहीं होने के कारण दिनांक 07.04.2022 को खारिज कर दिया गया। इसलिए उक्त नकल खारिजी आदेश को आधार मानकर अन्दर मियाद यह अपील पेश की गई है। अपीलांट द्वारा जान बूझकर अपील देरी से पेश नही की गई है। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नही किया तथा एकतरफा तौर पर जैर अपील आदेश पारित कर दिया। अतः प्रार्थनापत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावें।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट को जैर अपील आदेश की भली–भांती जानकारी थी। अपीलांट द्वारा जानबूझ कर देरी से यह अपील पेश की गई है। प्रार्थना पत्र में अंकित देरी का कारण सन्तोष जनक नहीं है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद खारिज किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 2 पैरोकार राज ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि अपीलांट्स को विधिवत रूप से सुना नही गया है। अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र में देरी का जो कारण बताया है वह भी संतोष जनक है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हम हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर करने की बजाय गुणावगुण पर करना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित समझते हैं अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2025.01.28 11:18:17 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

तत्पश्चात गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि अपील मीमों में अंकित तथ्य ही मेरी बहस है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जैर अपील तरमीम आदेश निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि हस्तगत अपील किस आदेश के विरूद्ध पेश की है, यह स्पष्ट नहीं है एवं अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति भी पेश नहीं की गई है, जबकि अपीलीय न्यायालय में अपील के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति पेश करना आवश्यक है। जैर अपील रकबा पर मुझ रेस्पोडेंट संख्या 01 का कब्जा काश्त है। अपीलांट का जैर अपील रकबा पर किसी तरह का कोई हक हकूक एवं कब्जा काश्त नहीं है। अपीलाधीन तरमीम नियमानुसार की गई है, जिसे यथावत रखते हुए अपीलांट की अपील निरस्त की जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 2 पैरोकार राज दौराने बहस राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया व तरमीम नियमों का भी गहनता से अध्ययन व मनन किया। प्रकरण में तरमीम किये जाने संबंधी सक्षम आदेश एवं तरमीम की मौका फर्द उपलब्ध नहीं है, जिससे यह साबित हो की तरमीम किस आदेश से की गई है। उक्त तरमीम एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने एवं बिना मौका निरीक्षण किये की गई जो हमारी राय मे विधि सम्मत नहीं है। इसलिए रोही ठेठार के खसरा नम्बर 9/5 को तरमीम कर नया खसरा नम्बर 201/9 बनाये जाने के आदेश को निरस्त करना हम उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा रोही ठेठार तहसील सूरतगढ के राजस्व नक्शा में खसरा न. 9/5 की तरमीम कर बनाये गये नये खसरा 201/9 की तरमीम निरस्त की जाती है तथा तरमीम से पूर्व की स्थिति बहाल की जाती है। प्रकरण की आदेशिका दिनांक 13.05.2022 द्वारा जारी स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरतगढ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2025.01.28 11:18:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner